

विधानसभा सत्र दिसम्बर 2020 (ताराकित प्रश्न क्रमांक-748 माननीय विधायक श्रीश्याम लाल दविवेदी
दिनांक 23/12/2020 से दिनांक 30/12/2020 के प्रश्नांश (क) के उत्तर का परिशिष्ट "अ" पेज
संख्या 01 से 02 तक)

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

कमांक एफ 1-15/07/सत्रह/मेडि-3/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9/09/2008

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्योंथर का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन।

राज्य शासन एतद् द्वारा सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र त्योंथर जिला रीवा का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। इस संस्था में उन्नयन के फलस्वरूप अतिरिक्त पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.2009 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है। निर्मित किये जाने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	सिविल अस्पताल त्योंथर		
			पूर्व से स्वीकृत पद	स्वीकृत अतिरिक्त पद	कुल पद
1	मेडिकल विशेषज्ञ	10000-15200	0	2	2
2	सर्जरी विशेषज्ञ	10000-15200	1	1	2
3	स्त्री रोग विशेषज्ञ	10000-15200	1	1	2
4	शिशु रोग विशेषज्ञ	10000-15200	1	1	2
5	निश्चेतना विशेषज्ञ	10000-15200	1	0	1
6	नेत्र रोग विशेषज्ञ	10000-15200	0	1	1
7	रेडियोलॉजिस्ट	10000-15200	0	1	1
8	पैथोलॉजिस्ट	10000-15200	0	1	1
9	अस्थि रोग विशेषज्ञ	10000-15200	0	1	1
10	मेडिकल आफिसर	8000-13500	2	7	9
11	दंत चिकित्सक	8000-13500	0	1	1
12	मेट्रन	5000-8000	0	2	2
13	स्टॉफ नर्स	4000-6000	6	44	50
14	नेत्र सहायक	4000-6000	1	0	1
15	लेब टेक्नशियन	4000-6000	0	3	3
16	रेडियोग्राफर	3500-5200	1	1	2
17	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	3050-4590	0	5	5
18	लेबोरेटरी अटेन्डेंट	2750-4400	0	3	3
19	वार्ड ब्याय	संविदा पर	0	5	5
20	ओ.टी.अटेन्डेंट	2550-3200	0	3	3
21	ड्रेसर	3050-4590	0	3	3
22	लेखापाल	4000-6000	0	1	1
23	ए.एस.ओ.	5500-9000	0	1	1
24	असिस्टेंट ग्रेड - 2	4000-6000	0	1	1
25	कम्प्यूटर ऑपरेटर	संविदा पर	0	3	3
26	ड्रायवर	संविदा पर	1	1	2

2

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण- 2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य -01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-110-अस्पताल और औषधालय - 0101- राज्य आयोजना सामान्य - 8798 - चिकित्सालयों का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 8.8.2008 में की गई अनुशांसा के परिपेक्ष्य में जारी की गई है।

AD (N.P./978) / JMD

1656
दिनांक 12-09-2008

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(ए. के श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1-15/07/सत्रह/मेडि-3/
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 9/09/2008

- 1/ प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
- 2/ महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर ।
- 3/ समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश भोपाल ।
- 4/ कलेक्टर जिला रीवा, मध्य प्रदेश ।
- 5/ संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, रीवा संभाग, रीवा म.प्र. ।
- 6/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, जिला रीवा, म.प्र. ।
- 7/ सिविल सर्जन, जिला रीवा, म.प्र. ।
- 8/ जिला कोषालय अधिकारी जिला रीवा, म.प्र. ।
- 9/ कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय भोपाल ।
- 10/ अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कक्ष-1, मंत्रालय ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग



उप संचालक
जिला कोषालय रीवा

12-09-2008